भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 658 का उत्तर

खलीलाबाद से बहराइच तक नई रेल लाइन

658. श्री राम शिरोमणि वर्मा:
डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खलीलाबाद से बहराइच होते हुए बलरामपुर और श्रावस्ती तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से चरण-2 की स्थिति क्या है;
(ख) कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु उसे शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) उक्त रेल लाइन के पूर्ण निर्माण और चालू होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(घ) क्या सरकार का श्रावस्ती (बौद्ध और जैन तीर्थस्थल) तथा बलरामपुर (प्रसिद्ध देवीपाटन मंदिर) जैसे धार्मिक स्थलों पर यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष रेलगाड़ियाँ चलाने, पैकेज प्रदान करने या स्टेशन के विकास जैसे कदम उठाने का विचार है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार बलरामपुर स्टेशन को जंक्शन का दर्जा देने का विचार कर रही है; और
(छ) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और इस संबंध में वित्तीय स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): बलरामपुर और श्रावस्ती के रास्ते खलीलाबाद-बहराइच (240 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना को 4940 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण हेतु "विशेष रेल परियोजना" के रूप में अधिसूचित किया गया है। कार्य को तीन चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है: अर्थात् खलीलाबाद

से बांसी (54 कि.मी.), बांसी-श्रावस्ती (113 कि.मी.) और श्रावस्ती से बहराइच (73 कि.मी.)। खलीलाबाद से बांसी खंड के लिए भूमि अधिग्रहण का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है और तदनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है। मार्च 2025 तक 1067 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है और वर्ष 2025-26 के लिए इस परियोजना के लिए 421 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

बलरामपुर स्टेशन को जंक्शन स्टेशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जहां से गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती की ओर जाने वाली गाड़ियां चलेंगी।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाले परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इससे वर्ष, 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन भारतीय रेल की सतत प्रक्रिया है। भारतीय रेल परिचालन व्यवहार्यता, यातायात औचित्य आदि के अधीन, त्योहारों के मौसम, छुट्टियों के दौरान या धार्मिक/पर्यटन महत्व वाले स्थलों पर पर्यटन और तीर्थयात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन करती है।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना/ओं स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, परियोजना विशेष स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/ओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****